Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).
[Supply Appeal Case No.- 173/2025]

Sushil Kumar...Appellant

Versus

The State of Bihar & Others...Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4

16.2.2026

आदेश

यह आपूर्ति अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रिट याचिका संख्या-10637/2025 में दिनांक-09.10.2025 को पारित आदेश के आलोक में न्यायालय समाहर्त्ता -सह- जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा द्वारा P.D.S. वाद संख्या-02/2024 में दिनांक-07.3. 2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है।

दिनांक-31.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी राज्य का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। Petitioner की ओर से Written note of Argument दाखिल है।

सुनवाई में Petitioner के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि आपूर्ति शाखा, समाहरणालय, मधेपुरा द्वारा वर्ष 2017 में नई P.D.S. अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु विज्ञापन निर्गत किया गया। उनका कहना है कि Petitioner श्री सुशील कुमार द्वारा अनारक्षित कोटि का आवदेन समर्पित किया गया। जो उनके आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है। विपक्षी गुंजन कुमारी द्वारा अति पिछड़ा (महिला) कोटि के लिए आवेदन समर्पित किया गया है। चयन समिति द्वारा चयन नियमों के विपरीत विपक्षी गुंजन कुमारी का चयन अनारक्षित कोटि के लिए किया गया। जो Bihar Targeted P.D.S. (Control) Order, 2016 के नियम-9(ix) का उल्लंघन है। तदनुसार उनके द्वारा विपक्षी के चयन को रद्द करते हुए उनके पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आदेश पारित करने का अनुरोध कियाा गया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। तथा अपीलाधीन आदेश बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की धारा-9(V) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप है।

विपक्षी संख्या-7 एवं 8 की ओर से जवाब/Rejoinder दाखिल है। उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा नियमानुसार उनका चयन किया गया है तथा यह कि वादी का आवेदन खारिज करने योग्य है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख/LCR में रक्षित कागजातों के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि वर्ष 2017 में मधेपुरा अनुमंडल के कुमारखंड प्रखंड अन्तर्गत इसराईन खुर्द पंचायत के लिए कुल-4 (अनारक्षित-2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला-1, अनुसूचित जाति महिला-1) नई PDS अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन के लिए निर्धारित शर्त के कंडिका-6 में अंकित है कि रिक्ति जिस कोटि के लिए आरक्षित है, आवेदन केवल उसी कोटि का प्राप्त किया जायेगा। उक्त प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में कुल 14 आवेदन प्राप्त हुआ। अनारक्षित कोटि के लिए प्राप्त आवेदनों के अनुसार मेधा सूची निम्नानुसार हैः-

क्र.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	कोटि	कम्प्यूटर योग्यता (हाँ/ नहीं)	शैक्षणिक योग्यता	प्राप्तांक
1.	प्रियंका कुमारी	कृष्ण कुमार साहा	अनारक्षित	हाँ	स्नातक	55.86
2.	नवीन कुमार	श्री रामप्रसाद साह	अनारक्षित	नहीं	स्नातक	55.80
3.	सुशील कुमार	उपेन्द्र प्र0 यादव	अनारक्षित	हाँ	इंटर	60.00
4.	चन्दन कुमार	नारायण यादव	अनारक्षित	हाँ	इंटर	58.00

16.2.2026

5.	अजय कुमार	उपेन्द्र प्र0 यादव	अनारक्षित	हाँ	इंटर	57.33
6.	विपिन कुमार	रामनारायण प्र0 यादव	अनारक्षित	हाँ	इंटर	45.77
7.	रंजु कुमारी	विशुनदेव साह	अनारक्षित	हाँ	मैट्रिक	52.75
8.	सुनिता कुमारी	दिलीप कुमार	अनारक्षित	हाँ	मैट्रिक	42.00

Bihar Targeted P.D.S. (Control) Order, 2016 के नियम-9(V) "The applicant of a fair price shop's license must be matric pass and an adult, Provided that the applicant having computer knowledge shall be given priority. In case of equality in computer knowledge, the applicant having highest qualification and in case of equality in highest qualification also the applicant of older age shall be given priority." तथा नियम-9(ix) "Against unreserved vacancies, persons of all classes may submit application, and the selection shall be made purely on merit, and their status shall be unreserved." के आलोक में अनारक्षित पद हेतु दाखिल आवेदन पत्रों के अवलोकन से मेधा क्रम के अनुसार अनारक्षित पद हेतु निर्धारित 02 पद पर नवीन कुमार को कम्प्यूटर योग्यता नहीं होने की स्थिति में प्रियंका कुमारी एवं सुशील कुमार का चयन विधिसम्मत होना चाहिए। किन्तु जिला स्तरीय चयन समिति के स्तर से अनारक्षित मेधा क्रमांक-3 पर अवस्थित सुशील कुमार के बजाय अनारक्षित कोटि के विरूद्ध गुंजन कुमारी का चयन किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। चुँकि गुंजन कुमारी के आवेदन पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा अति पिछड़ा महिला पद के विरूद्ध आवेदन दिया गया था।

अतः तदनुसार इसराईन खुर्द पंचायत अन्तर्गत अनारक्षित पद के विरूद्ध गुंजन कुमारी के चयन को निरस्त करते हुए मेधा क्रमांक-3 पर अंकित सुशील कुमार का Selection करने का आदेश दिया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि गुंजन कुमारी को प्रदत्त अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए सुशील कुमार के पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने से संबंधित सभी अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त कार्यवाही 01 माह के अन्दर पूरी कर ली जाय।

इस आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Raj K.
16/2/26.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखाप्रित एवं शुद्धित।
Raj K.
16/2/26.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा सत्यमेव जयते